



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27। नई दिल्ली, जुलाई 1—जुलाई 7, 2012, शनिवार/आषाढ़ 10—आषाढ़ 16, 1934

No. 27। NEW DELHI, JULY 1—JULY 7, 2012, SATURDAY/ASADHA 10—ASADHA 16, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory-Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 27 जून, 2012

सा.का.नि. 161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 2001 और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालयों के कार्यालय (सहायक) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय (भाषा प्रभाग), और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2012 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, और पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, पे बैण्ड और ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

